बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक–14/10/2026

संचिका संख्या–03/आ01–221/2025-I/520486/ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पत्रांक–1915 दिनांक 24.11.2025 द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि निगरानी थाना कांड संख्या–23/2025 दिनांक 05.05.2025 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री मनोज कुमार, प्रधान लिपिक एवं श्री संतोष कुमार शर्मा, कंप्यूटर ऑपरेटर के विरुद्ध परिवादी श्री कृष्ण नंदन सिंह के सेवांत लाभ के भुगतान के एवज में 50,000/– ₹ रिश्वत मांगने के आरोप में निगरानी थाना कांड सं.–23/2025, दिनांक 05.05.2025 धारा–7(a)/7(c) भ्र.नि.अधि. 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) दर्ज किया गया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उल्लेख किया गया है कि पूरक अनुसंधान के क्रम में इस कांड में संदेही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, अरवल श्री नीरज कुमार की संलिप्तता के बिन्दु पर छानबीन की गयी। इस क्रम में श्री नीरज कुमार के विरुद्ध कांड में आपराधिक संलिप्तता का साक्ष्य नहीं पाया गया परन्तु परिवादी सेवानिवृत शिक्षक श्री कृष्णनन्दन सिंह के सेवान्त लाभ के भुगतान हेतु परिवादी द्वारा दिये गये अनेक लिखित आवेदनों के बावजूद विशेष रूप से प्रधान लिपिक श्री मनोज कुमार द्वारा सेवान्त लाभ के भुगतान में अनावश्यक देरी की गयी। प्रधान लिपिक श्री मनोज कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। सेवान्त लाभ के भुगतान में हुई अनावश्यक देरी के कारण कार्यालय कर्मियों को परिवादी से रिश्वत मांगने का अवसर मिल गया तथा परिवादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और बाध्य होकर परिवादी को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का सहारा लेना पड़ा। इससे स्पष्ट है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, अरवल श्री नीरज कुमार का अपने अधीनस्थ कर्मियों पर नियंत्रण नहीं था जो उनकी कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को दर्शाता है। उक्त के आलोक में श्री नीरज कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, अरवल के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

2. रिश्वत मांगे जाने के आलोच्य सेवांत लाभ के प्रस्तुत मामले के आरोप पत्र के गठन में सामान्य प्रशासन विभागीय निर्देशों के अनुरूप अभिलेखों की जाँच के आधार पर की गई देरी तथा उसमें श्री नीरज कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, अरवल के स्तर पर बरती गई लापरवाही एवं उदासीनता को दर्शाया जाना समीचीन होने के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, अरवल को यह निदेशित किया गया कि वे सम्बन्धित सेवांत लाभ के मामले के अभिलेखों की जाँच तथा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के प्रतिवेदन को दृष्टिपथ में रखकर श्री नीरज कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, अरवल के विरूद्ध आरोप पत्र का गठन कर विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराएँ ताकि समीक्षोपरांत आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

3. जिला शिक्षा पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक–1187 दिनांक 18.12.2025 द्वारा श्री नीरज कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसपर समीक्षोपरांत विभाग स्तर से आरोप पत्र का पुनर्गठन कर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार से उस पर अनुमोदन

प्राप्त करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की गई एवं श्री नीरज कुमार से लिखित बचाव अभिकथन की मांग की गई। आरोप पत्र में अंतर्विष्ट आरोप निम्नवत् हैं–

a. श्री कृष्णनंदन सिंह, सेवानिवृत प्रधानाध्यापक, राजकीयकृत मध्य विद्यालय सेनारी, बंशी, अरवल के देय सेवान्त लाभ से संबंधित यथा–जी.पी.एफ., ग्रुप जीवन बीमा एवं अर्जित अवकाश की राशि तथा पेंशन उपदान से संबंधित भुगतान में अनावश्यक विलम्ब करना।
b. अपने पद का दुरूपयोग करना एवं मूल दायित्वों से निर्वहन के प्रति उदासीन रहना।
c. मनमानेपन एवं स्वेच्छाचारितापूर्वक सेवान्त लाभ के मामलों की प्रभावी समीक्षा नहीं करना। सेवान्त लाभ से संबंधित संचिका प्रभारी लिपिक/कर्मियों के साथ मिलीभगत एवं अधीनस्थ कर्मियों पर नियंत्रण का अभाव होना।
d. क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, मगध प्रमण्डल, गयाजी कार्यालय को सेवान्त लाभ संबंधित भ्रामक मासिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना एवं प्रतिवेदन में नियमानुसार श्री कृष्णनंदन सिंह, प्रधानाध्यापक का नाम अंकित नहीं होना।
e. निगरानी विभाग के द्वारा संदेही पाया जाना एवं प्रथम दृष्टया अनियमितता में संलिप्तता स्थापित होना।
f. जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यालय अरवल की प्रतिष्ठा/छवि को धूमिल करना।
g. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 नियम–3 (i), (ii) एवं (iii) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।

4. श्री नीरज कुमार द्वारा अपना लिखित बचाव अभिकथन समर्पित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से यह कहा गया है कि दिनांक–31.01.2025 को सेवानिवृति के उपरान्त श्री कृष्णनंदन सिंह के सेवान्त लाभ की स्वीकृति इत्यादि कार्यों में उनके द्वारा कोई भी विलम्ब नहीं किया गया है बल्कि कुछ प्रक्रियात्मक अथवा अन्य कारणों से देरी हुई। अतएव उनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप निराधार है, पद का दुरूपयोग करने एवं मूल दायित्वों के निर्वहन के प्रति उदासीन रहने का आरोप गलत है, क्योंकि पेंशन भुगतान हेतु दिनांक 11.04.2025 को उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र कोषागार को प्रेषित कर दिया गया था। श्री कृष्णनंदन सिंह, प्रधानाध्यापक, मध्य विद्य ालय सेनारी प्रखण्ड–बंशी से संबंधित सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक महोदय, मगध प्रमण्डल, गयाजी कार्यालय को समर्पित मासिक प्रतिवेदन में नाम अंकित नहीं हो सका। इसके लिए सीधे तौर पर संबंधित चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक एव संबंधित प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी जिम्मेवार है। श्री नीरज कुमार ने अन्य आरोपों को भी गलत बताया है।

5. श्री नीरज कुमार के लिखित बचाव अभिकथन पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, अरवल से साक्ष्य आधारित मंतव्य की मांग की गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी, अरवल द्वारा इनके बचाव अभिकथन को स्वीकार करने योग्य नहीं होने का मंतव्य दिया है। इनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री कृष्णनन्दन सिंह, सेवानिवृत प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय सेनारी का सेवान्त लाभ से संबंधित आवश्यक अभिलेख जिला कार्यालय को जमा किया गया, जिसको दिनाक–11.12. 2024 को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना) द्वारा Seen किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि पूर्व निकासी व्ययन पदाधिकारी–सह–प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय बंशी कल्याणपुर द्वारा श्री

सिंह के सेवानिवृति की तिथि–31.01.2025 की जानकारी जिला स्थापना शाखा (शिक्षा), अरवल को दिया गया, जिसे अनदेखी कर वरीय पदाधिकारी को गुमराह किया गया है। 2 महीने से अधिक अवधि ग्रुप बीमा योजना की राशि निकासी में लगाई गई है, जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना), अरवल के कार्यकलाप पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है एवं कार्य के प्रति लापरवाही है। NOC प्राप्त करने में भी उनके स्तर से लगभग एक महीना से अधिक समय लगाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कार्य में लापरवाही बरती गयी है। श्री नीरज कुमार पर सेवान्त लाभ निष्पादन की प्रभावी समीक्षा, अनुश्रवण एवं निदेशन नहीं किया जाना स्थापित होता है, जिसके कारण ही सन्दर्भित प्रकरण घटित हुआ।

6. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त अनुरोध पत्र, श्री नीरज कुमार पर गठित आरोप पत्र, इनका लिखित अभिकथन एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, अरवल के मंतव्यात्मक प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षा में नीरज कुमार पर अपने अधीनस्थ कर्मियों पर नियंत्रण का अभाव होना ज्ञात हो रहा है। इनके अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण की कमी की वजह से सेवान्त लाभ के भुगतान में हुई अनावश्यक देरी के कारण कार्यालय कर्मियों को परिवादी से रिश्वत मांगने का अवसर मिल गया तथा परिवादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यह श्री नीरज कुमार की कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को दर्शाता है। इस प्रकार इनका आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रतिकूल भी ज्ञात होता है। अतएव श्री नीरज कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, अरवल का बचाव अभिकथन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

7. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 19 के प्रावधान के तहत सरकारी सेवक से आरोप पत्र के संदर्भ में प्राप्त बचाव अभिकथन/स्पष्टीकरण पर विचार कर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिना अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किए हुए प्रमाणित आरोप के समानुपातिक लघु दण्ड अधिरोपित किए जाने का प्रावधान है।

8. अतः उपर्युक्त के आलोक में श्री नीरज कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, अरवल पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14 (iv) के तहत **"आदेश निर्गत होने की तिथि से दिनांक–30.06.2027 की अवधि के लिए संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में एक निम्नतर प्रक्रम पर अवनति"** की शास्ति अधिरोपित/संसूचित की जाती है।

9.. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(विजय कुमार पाण्डेय)

निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांकः–03/आ01–221/2025.I/520486/ पटना, दिनांक 14/10/2026

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/

महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/राज्य परियोजना निदेशक/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य टेक्सट बुक कॉरपोरेशन/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/विशेष निदेशक (मा0शि0)/सभी उप निदेशक/सभी संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं श्री नीरज कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, अरवल सम्प्रति कार्यक्रम पदाधिकारी, सारण, (छपरा) को सूचनार्थ एवं आंवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Vijay Kumar Pandey
Date: 14-10-2026 12:49:20

निदेशक (प्रशासन)